पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 130/2020

1. उम्मेदसिंह पुत्र सुरतसिंह जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
2. मानसिंह पुत्र सुरतसिंह जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
3. जयप्रकाश पुत्र सुरतसिंह जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।

:— वादीगण

ब ना म

1. सुरतसिंह पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
2. मोहनीदेवी पुत्री राजेराम जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट-ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र बेनिवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विनोद शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा गढडा के खाता सं 212/205 के खसरा सं 232 की 4.515है0 खसरा सं 252 की 5.311है0 कुल 9.826है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सुरतसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसी रोही गढडा के ही खाता सं 30/42 के खसरा सं 198 की 2.972है0 खसरा सं 224 की 0.582है0 खसरा सं 272 की 3.389है0 खसरा सं 406 की 4.502है0 कुल 11.445है0 में प्रतिवादी सुरतसिंह के नाम से 1/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं 1 सुरतसिंह का नाम कलमजन कर वादीगण को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार कांश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 उम्मेदसिंह वादी सं 2 मानसिंह वादी सं 3 जयप्रकाश को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21.1.21 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:26 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट–ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 130/2020

अनवान :

1. उम्मेदसिंह पुत्र सुरतसिंह जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
2. मानसिंह पुत्र सुरतसिंह जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
3. जयप्रकाश पुत्र सुरतसिंह जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।

:– वादीगण

व ना म

1. सुरतसिंह पुत्र राजेराम जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
2. मोहनीदेवी पुत्री राजेराम जाति जाट निवासी गढडा त0 भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा।

:– प्रतिवादीगण

दावा बावत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बेनिवाल : वादी
वकील श्री विनोद शर्मा : प्रतिवादीगण

निर्णय **दिनांक : 21.12.2020**

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा गढडा के खाता सं 212/205 के खसरा सं 232 की 4.515है0 खसरा सं 252 की 5.311है0 कुल 9.826है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सुरतसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसी रोही गढडा के ही खाता सं 30/42 के खसरा सं 198 की 2.972है0 खसरा सं 224 की 0.582है0 खसरा सं 272 की 3.389है0 खसरा सं 406 की 4.502है0 कुल 11.445है0 में प्रतिवादी सुरतसिंह के नाम से 1/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार रोही झिलोदा के खाता सं 185/182 के खसरा सं 113 की 3.604है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है तथा रोही झिलौदा के ही खाता सं 30/30 के खसरा सं 107 की 2.782है0 खसरा सं 108 की 2.833है0 खसरा सं 109 की 2.997है0 खसरा सं 292 की 3.288है0 खसरा सं 294/410 की 3.794है0 कुल 15.694है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 सुरतसिंह के नाम 130 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले प्रतिवादी सं 1 के पिता राजेराम की खातेदारी हुआ करती थी। राजेराम के देहान्त होने पर उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 सुरतसिंह ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

सहायक कलक्टर
फास्ट ट्रैक भादरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:26 IST
Reason: SelfAttested

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादीगण का हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

Scanned with CamScanner

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण एवं प्रतिवादी सं 1 व 2 द्वारा आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया गया। व प्रतिवादी सं 3 को तर्क अंकित किया। प्रतिवादीगण गण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु मानसिंह पुत्र सुरतसिंह के बयान करवाये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी ग्राम गढडा प्रदर्श 1 जमाबंदी गढडा खाता सं 30/42 प्रदर्श 2 जमाबंदी ग्राम झिलौदा प्रदर्श 3 जमाबंदी ग्राम झिलौदा खाता सं 30/30 प्रदर्श 4 जमाबंदी खतौनी प्रदर्श 5 व वारिस प्रमाण पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की दादालाई पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादी के हकों पर विपरित असर पड़ता है। इस प्रकार मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादीगण डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हरतगत प्रकरण में वादीगण ने ग्राम गढडा व झिलौदा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादी ने दावा की पुष्टि में जो सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी व वारिस प्रमाण पत्र मय शपथ पत्र प्रदर्श 6 प्रदर्शित करवाये। प्रदर्श 6 में वारिसप्रमाण पत्र में अन्य कोई वारिस होना नही बताया गया है। रोही मौजा गढडा के खाता सं 212/205 के खसरा सं 232 की 4.515है0 खसरा सं 252 की 5.311है0 कुल 9.826है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सुरतसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसी रोही गढडा के ही खाता सं 30/42 के खसरा सं 198 की 2.972है0 खसरा सं 224 की 0.582है0 खसरा सं 272 की 3.389है0 खसरा सं 406 की 4.502है0 कुल 11.445है0 में प्रतिवादी सुरतसिंह के नाम से 1/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है इसी प्रकार रोही झिलोदा के खाता सं 185/182 के खसरा सं 113 की 3.604है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी दर्ज है तथा रोही झिलौदा के ही खाता सं 30/30 के खसरा सं 107 की 2.782है0 खसरा सं 108 की 2.833है0 खसरा सं 109 की 2.997है0 खसरा सं 292 की 3.288है0 खसरा सं 294/410 की 3.794है0 कुल 15.694है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सं 1 सुरतसिंह के नाम 130 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उनमें वाद भूमि रोही मौजा झिलौदा के दोनों खातों की कृषि भूमि प्रतिवादी सं 1 का नाम यथावत रखते हुए रोही मौजा गढडा की वाद भूमि में प्रतिवादी सं 1 का नाम कलमजन कर वादीगण को बहिस्सा बराबर के खातेदार घोषित किये जावें। चूकिं प्रतिवादी सं 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है। इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक)भादरा

क्रियात्मक आदेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:58:26 IST
Reason: SelfAttested

अत : वाद वादी साबित होने के [illegible] राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि [illegible] के खाता सं 212/205 के खसरा सं 232 की 4.515है0 खसरा सं 252 की 5.311है0 कुल 9.826है0 बारानी खातेदारी में प्रतिवादी सुरतसिंह के नाम से 1/2 हिस्सा खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है इसी रोही गढडा के ही खाता सं 30/42 के खसरा सं 198 की 2.972है0 खसरा सं 224 की

Scanned with CamScanner

0.582है0 खसरा सं 272 की 3.389है0 खसरा सं 406 की 4.502है0 कुल 11.445है0 में प्रतिवादी सुरतसिंह के नाम से 1/8 हिस्सा खातेदारी दर्ज है में प्रतिवादी सं 1 सुरतसिंह का नाम कलमजन कर वादीगण को बहिस्सा बराबर के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। चुंकि प्रतिवादी स0 1 व 2 ने अपना हक हिस्सा वादीगण के पक्ष में त्याग कर शुन्य कर लिया है इसलिए त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को देय पंजीयन शुल्क व स्टाम्प डयूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी सं 1 उम्मेदसिंह वादी सं 2 मानसिंह वादी सं 3 जयप्रकाश को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.12.2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) भादरा
R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.01.19 09:38:26 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner